

सूचित किया जाता है कि जिला फतेहाबाद में 15th Finance Commission के तहत स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 1 शहरी आयुष्मान अरोग्य मंदिर खोलने के लिए किराये पर भवन को लिया जाना है। जो भी व्यक्ति अपने भवन को किराये पर देना चाहते हैं वह अपना सहमती पत्र न्यूनतम किराये के साथ मूल रूप से सिविल सर्जन कार्यालय में दिनांक 27/10/2026 साँ 4.00 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। भवन को किराये पर देने के लिए नियम व शर्तों का कि हस्ताक्षरित कॉपी जमा करवाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए व आवेदन पत्र के लिए निम्न वेबसाइट पर देखें nhmfatehabad.org.

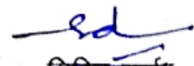
क्रम संख्या	नाम जहाँ पर स्वस्थ केन्द्रों खोले जाने हैं	संस्था का प्रकार
1.	UAAM Thakkar Basti, Fatehabad	शहरी आयुष्मान अरोग्य मंदिर

नियम एवं शर्तें

- सरकारी फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
- भवन के लिए नगर परिषद/पंचायत से NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- किराए के लिए लिए गए भवन में स्टाफ के बैठने एवं अन्य उपयोग हेतु न्यूनतम 3-4 कमरे, फर्श, पेंटिंग तथा 2-3 शौचालय होना चाहिए।
- जिन भवनों में सभी कमरे ज़मीन तल पर होंगे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
- भवन किराए की मांग पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करें। किराए का अंतिम निर्णय समिति द्वारा किया जाएगा।
- सभी प्रकार की मरम्मत (टूट-फूट, सीलन, पेंट आदि) की जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी (At His Own Cost)। अन्यथा वार्षिक किराए में से 2% कटौती की जाएगी।
- भवन मालिक को 3 फेस मीटर/सिंगल फेस मीटर (कम से कम 5KW) लगवाकर देना होगा तथा आवश्यक फिटिंग करवानी होगी।
- किराए पर लिए गए भवन में उपयोग की जा रही बिजली, पानी एवं सीवर के बिल का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। इससे पूर्व भवन के सभी बकाया बिल भवन मालिक द्वारा चुकाकर उनकी प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है (No Dues Certificate)।
- अनुबंध प्रारंभ में दिनांक 31/03/2027 तक प्रभावी रहेगा। इसके पश्चात् राज्य मुख्यालय के आदेशानुसार इसका नवीनीकरण (renewal) किया जाएगा।
- भवन मालिक अनुबंध से कम से कम 3 माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है।
- अनुबंध को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार पूर्णतः स्वास्थ्य विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
- किराए की अवधि (3 वर्ष) के दौरान कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।
- किराए पर लिए गए भवन में बिजली, पानी की नियमित सुविधा उपलब्ध करवाना भवन मालिक की जिम्मेदारी होगी।
- किराए पर दिए गए भवन में टूटी-फूटी एवं गड्ढों वाले रास्तों की जगह साफ-सुथरी एवं पक्की सड़क होनी चाहिए।
- किराए पर दिए गए भवन में कोई भी स्थान अस्थिर या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए।
- भवन मालिक को किराए पर देते समय भवन की स्वामित्व प्रमाणित फोटो कॉपी इस कार्यालय में जमा करवानी होगी जिसमें यह प्रमाणित हो कि भवन उसके नाम पर है। यदि स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो भवन मालिक को यह घोषणा देनी होगी कि भवन उसके ही नाम पर है और किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी भवन को किराए पर लेने से पूर्व उसका निरीक्षण कर सकती है तथा समिति को किसी भी भवन को किराए पर लेने या न लेने का पूर्ण अधिकार होगा और समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
- भवन में अस्थायी संशोधन (Temporary Modification) स्वास्थ्य योजनाओं के संचालन हेतु किया जा सकता है। इसके लिए भवन मालिक की सहमति आवश्यक होगी तथा अस्थायी संशोधन में लगे सामान पर दावा मान्य नहीं होगा।
- सरकार द्वारा किसी भी समय आपातकालीन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/भवन खाली करवाने का आदेश भवन मालिक द्वारा बिना शर्त स्वीकार्य होगा।
- एक भवन मालिक केवल एक ही संस्था के लिए आवेदन कर सकता है।

नोट:

- आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति ही स्वीकार की जाएगी तथा इसे सिविल सर्जन कार्यालय, फतेहाबाद में जमा करवाना होगा।
- नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार सिविल सर्जन कार्यालय, फतेहाबाद को होगा।
- नियम व शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षरित प्रति के आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा।


सिविल सर्जन
फतेहाबाद